न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 47 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 295

अनवान

1. पुष्पादेवी पत्नि गोपीलाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोवर्धन पिता जगन्नाथ लोहार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दलाल पिता जगन्नाथ लोहार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. फतेहलाल पिता जगन्नाथ लोहार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बरदीदेवी पत्नि लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबुलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मिठालाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशनलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकरलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शान्तिलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. प्रकाश पुत्र बन्नालाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. तेजमल पुत्र तारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. प्रकाश पिता तारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. धर्मचन्द पिता नाथु कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रकाश पिता नाथु कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुवालाल पिता नाथु कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. प्रभु पिता ताराचंद कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. प्रभु पिता तारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. रोशनलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. राजस्थान राज्य जरिये जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

उपस्थित

1. राजु नायक – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 18 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:– 16/3/26

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	166	2472 / 380	0.0200
2	166	2474 / 381	0.0200
3	166	2476 / 373	0.1600
4	166	2618 / 336	0.2250

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर

5	166	314	0.1700
6	166	321	0.0500
7	166	322	0.0400
8	166	332	0.0800
9	166	339	0.0400
10	166	340	0.0700
11	166	341	0.1100
12	166	342	0.1500
13	166	343	0.0200
14	166	372	0.1700
15	166	374	0.1500
16	166	378	0.0800
17	166	379	0.0300
	कुल किता 17 कुल रकबा	17	1.5850

प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत 2075 से 2078 की पेश की है।

2. प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने दिनांक 23.05.2025 को अपनी आराजियात की सीमा जानकारी करवाई जिसमें पता चला कि पड़ोसियों ने प्रार्थीया की कृषि भूमि पर कब्जा किया हुआ जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मौके पर्चे की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 18 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 16.02.2026 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 19 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

4. प्रार्थीया अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की राजस्व खाता संख्या 166 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के

सहायक कलक्टर

खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त राजस्व खाता संख्या 166 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2075–2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीया संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीया हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	166	2472/380	0.0200
2	166	2474/381	0.0200
3	166	2476/373	0.1600
4	166	2618/336	0.2250
5	166	314	0.1700
6	166	321	0.0500
7	166	322	0.0400
8	166	332	0.0800
9	166	339	0.0400
10	166	340	0.0700
11	166	341	0.1100
12	166	342	0.1500
13	166	343	0.0200
14	166	372	0.1700
15	166	374	0.1500
16	166	378	0.0800
17	166	379	0.0300
	कुल किता 17 कुल रकबा	17	1.5850

उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 2000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 3000/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 16/3/26 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 47 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 295

अनवान

1. पुष्पादेवी पत्नि गोपीलाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोवर्धन पिता जगन्नाथ लोहार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दलाल पिता जगन्नाथ लोहार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. फतेहलाल पिता जगन्नाथ लोहार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बरदीदेवी पत्नि लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबुलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मिठालाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशनलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शंकरलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शान्तिलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. प्रकाश पुत्र बन्ना कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. तेजमल पुत्र तारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. प्रकाश पिता तारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. धर्मचन्द पिता नाथु कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रकाश पिता नाथु कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुवालाल पिता नाथु कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. प्रभु पिता ताराचन्द कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. प्रभु पिता तारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. रोशनलाल पिता लालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. राजस्थान राज्य जरिये जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

दिनांकः– 16/3/26

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीया के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 16/3/26 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	166	2472 / 380	0.0200
2	166	2474 / 381	0.0200
3	166	2476 / 373	0.1600
4	166	2618 / 336	0.2250
5	166	314	0.1700
6	166	321	0.0500
7	166	322	0.0400

प्रशासक कलालखेड़ी

8	166	332	0.0800
9	166	339	0.0400
10	166	340	0.0700
11	166	341	0.1100
12	166	342	0.1500
13	166	343	0.0200
14	166	372	0.1700
15	166	374	0.1500
16	166	378	0.0800
17	166	379	0.0300
	कुल किता 17 कुल रकबा	17	1.5850

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 2000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 3000/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 16/3/26 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा